(91)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3260–पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–8–2015 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत सुपावली तहसील व जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 66/अ–12/2014–15 ।

.....

श्रीमती रामवती पाल पत्नी श्री विष्णु पाल
निवासी रामदास घाटी शिंदे की छावनी
लश्कर ग्वालियर

..... आवेदिका

विरूद्ध

हरीशंकर पुत्र हरद्वारीलाल
निवासी ग्राम धनेला परगना व जिला
ग्वालियर म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री अजय शर्मा, अभिभाषक–आवेदिका
श्री पी0के0तिवारी, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 13/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत सुपावली तहसील व जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे नम्बर 1139, 1140, 1141, 1142, 1143 व 1144 के सीमांकन हेतु आवेदन तहसीलदार सुपावली के समक्ष प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 24–8–15 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कि आवेदक को भी सीमांकन की सूचना नहीं दी गई है और आवेदक की भूमि सीमांकन में अनावेदक की भूमि में निकाल दी गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है । उनके द्वारा सीमांकन कार्यवाही एवं आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् अनावेदक सहित पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर टोटल मशीन से सीमांकन किया गया है जो कि पूर्णतः न्यायिक एवं उचित कार्यवाही है । उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। सीमांकन प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन में पूर्व आवेदिका का नाम भू–अभिलेख में आ चुका था, फिर भी उसे सूचना नहीं दी गई है । पांचोबाई की मृत्यु 2006 में ही हो गई थी, परन्तु उसे नोटिस दिया गया है । सीमांकन टी0एस0एम0 मशीन से किया गया है, परन्तु टी0एस0एम0 मशीन से किये गये सीमांकन का नक्शा संलग्न नहीं किया गया है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के

साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे प्रकरण में विधिवत् पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देते हुये सीमांकन आदेश पारित करें ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत सुपावली तहसील व जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–8–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में विधिवत् पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देते हुये सीमांकन आदेश पारित करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर